



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/अधि.अभि.(विद्युत-111)/2022/डी-502

दिनांक 27/09/2022

निविदा संशोधन सूचना

सूचित किया जाता है कि इस प्रकोष्ठ के अधीन निविदा सं. 19/2022-23 UBN no. JDA2223WSOB00358 से आमंत्रित की गई थी जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	निविदा की शर्तें विलोपित की जाती हैं।	विलोपित शर्तों के स्थान पर नवीन शर्तें लागू होगी।
1.	If any bidder quotes a rate below than the schedule "G" rates, i.e. rates below than "at par", then the bidder has to deposit the difference amount i.e. difference amount of the rates as per "at par" and quoted "below", as "work Performance Guarantee." This amount has to be deposited before the commencement of work and will be refund after successful completion of DLP Period. Lowest bidder will be issued LOA (Letter of Acceptance) and within 14 days period he has to deposit difference amount in the form of B.G./FDR/NSC. The validity of these shall be for a period three months beyond the date for completion of DLP Period as per requirement. In case of non-deposition of the same in specified period, the Bid Security will be forfeited. In case work is not completed satisfactorily, the "work performance guarantee" will be forfeited and other action will be taken as per Contract Agreement (Order No. प.01(24)नविवि/1/2020 लूज जयपुर, दिनांक 20.9.2021).	निदेशक वित्त, जविप्रा के कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा/निदे(वित्त)/2022/डी-37 दिनांक 22.9.22 के अनुसार वित्त (GF&AR) की अधिसूचना F2(1)FD/GST (SPFC)/2017 दिनांक 22.10.21 से RTTP Rule 75"अ" के लागू होंगे (संलग्न)।

शेष शर्तें एवं निविदा प्रस्तुत एवं खोलने की दिनांक यथावत रहेगी।

अधिशायी अभियन्ता (विद्युत-तृतीय)
जविप्रा, जयपुर।



कमांक जविप्रा/नविदि (वि.सि.) / 2022 / डी - 37

कार्यालय आदेश

विषय— जविप्रा में निविदाओं में BSR दशै से कम दर डालने पर अन्तर राशि जमा कराने बाबत।

जयपुर विकास प्राधिकरण में आमंत्रित निविदाओं में अतिरिक्त परफोरमेंस गारन्टी/सिक्योरिटी डिपॉजिट के संबंध में जविप्रा के आदेश कमांक जविप्रा/अधि. अभि./त.स. नि.अभि.-1 / 2021/डी-65 दिनांक 22.07.2021 तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश प01 (24) नविदि/01/2020 लूज दिनांक 20.09.2021 को Withdraw करते हुए वित्त (GF&AR) विभाग की अधिसूचना नम्बर F2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 दिनांक 22.10.2021 से RTPP Rule 75 “अ” के अनुसार लेने के प्रावधान को लागू किया जाता है।

निदेशक (वित्त)
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी-I, II, III, IV), जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त, विधि, नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ-III, IV), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निरन्तरण), जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त अति. मुख्य अभियन्तागण/अधीक्षक अभियन्तागण, अधि. अभियन्तागण जविप्रा जयपुर।
11. समस्त व. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

निदेशक (वित्त)
जविप्रा, जयपुर